कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/छात्रवृति/ मु.ह.बे.यो/2018–19   दिनांकः 04.07.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)

विषयः– "मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना" के अन्तर्गत जिले की दो मेधावी बी.पी.एल. परिवार की एक व **एक अनाथ** मेधावी (Meritorious) छात्राओं को वित्तीय वर्ष : 2018–19 से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने बाबत।

प्रसंगः– शासन का पत्रांक : प.17(11)शिक्षा–1/2015, जयपुर, दिनांक : 16.10.2015, 5.5.16 व 11.06.2018 व इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.10.2015,24.05.2016 व 26.05.2016 के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में लेख है कि "मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना" के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा में प्रत्येक जिले की दो मेधावी (Meritorious) छात्राओं को वित्तीय वर्ष : 2015–16 से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 5.5.16 द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत पूर्व वर्ष की भांति जारी निर्देशों के अनुसार दो मेधावी छात्राओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त बी.पी.एल. परिवार की एक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्रा को भी सम्मिलित किया जाना है। इसी कम में राज्य सरकार द्वारा योजना का विस्तार करते हुए शासन के पत्रांक :–प.17(11)शिक्षा–1 प.17(11)शिक्षा–1/2015, जयपुर, दिनांक 11.06.2018 के द्वारा बजट घोषणा 74 के अनुसार कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2018, में न्यूनतम 75 प्रतिशत प्राप्तांक करने वाली, **राजकीय विधालयों में अध्ययनरत, प्रत्येक जिले की प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली एक अनाथ** छात्रा को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस हेतु आपको बोर्ड से सत्र 2018 परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली पात्र तीन छात्राओं की सूची (दो सर्वोच्च अंक एवं एक बीपीएल सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली) की सॉफ्ट कॉपी सलंग्न कर प्रेषित की जा रही है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर पर सूची मे उल्लेखित विद्यालयों से जानकारी प्राप्त कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं का चयन की पुष्टि करेंगे। इन बालिकाओं के चयन के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया गया था यदि दो बालिकाओं के अंक समान है तो शासन के पत्र दिनांक 12.7.16 के बिन्दु 2.4 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में जिस बालिका के क्रमशः गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में अधिक अंक होंगे उसका चयन किया जाएगा। इन विषयों में भी समान अंक होने पर अधिक उम्र वाली बालिका का चयन करें।

आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनाथ बालिका की चयन प्रकिया हेतु आपने जिले के समस्त प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को निर्देश जारी करे तथा चयनित अनाथ छात्रा का विस्तृत विवरण इस कार्यालय को तत्काल भिजवाने का श्रम करे। शेष कार्यवाही समसंख्यक पत्र दिनांक 19.10.2015,के अनुसार करते हुए तीनो वर्ग की छात्राओ की प्रपत्र –1 मे सूचना तैयार कर पृथक पत्रावली संधारित कर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन जयपुर को भेजते हुए एक प्रति इस कार्यालय को पत्र प्राप्ति के 5 दिवस में प्रेषित करे।

सलंग्न–सूची एवं दिशा निर्देश

04.7.18
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. सचिव, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जयपुर।
3. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को योजना की समयबद्ध क्रियान्विति हेतु प्रभावी प्रबोधन हेतु
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

04.7.18

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Directorate of Secondary Education Rajasthan, Bikaner (Scholarship Section) Mail - deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in ; scholar.cell.e@gmail.com